संख्या–1824/44/चौवालिस–2-94-9/94

प्रेषक,

श्री आर० एस० माथुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/उपक्रमों के
शासन के प्रमुख सचिव/सचिव
2- समस्त निगमों/उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 29 अक्टूबर, 1994

विषय :– भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (वाणिज्यक) पर विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों, ड्राफ्ट प्रस्तरों तथा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों पर राज्य सरकारों की प्रति क्रियाओं एवं कार्यवाही की समीक्षा हेतु उच्चाधिकार प्राप्त गठित शकधर समिति की संस्तुतियां लागू किये जाने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है:–

(1) उक्त वाणिज्यिक प्रतिवेदनों को पूर्ववत् राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने तथा प्रकाशित घोषित हो जाने के बाद उनकी प्रतियां शासन को समस्त प्रमुख सचिवों/सचिवों एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग को उपलब्ध करा देने तक की कार्यवाही यथावत वित्त विभाग द्वारा की जायेगी।

(2) प्रतिवेदन की प्रतियां प्राप्त होने के बाद की समस्त कार्यवाही तथा परीक्षण करना उपक्रमों/निगमों से व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त कर यथा आवश्यक अपनी आख्या के साथ सार्वजनिक उपक्रम/निगम संयुक्त समिति को प्रस्तुत करने सम्बन्धी आदि समन्वय कार्य अब सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा किया जायेगा।

(3) इस परिप्रेक्ष्य में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, के प्रतिवेदनों (वाणिज्यक) तथा सार्वजनिक उपक्रम/निगम संयुक्त समिति के प्रतिवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है

(4) उपरोक्त निर्णय के संदर्भ में अनुरोध है कि सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा समय–समय पर जो भी सूचना/सामग्री मांगी जाये उसे भेजने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

भवदीय,
[आर० एस० माथुर]
अनु सचिव।

संख्या–1824(1)/चौवालिस–2/94 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) वित्त (लोक लेखा) कोष्ठक
(2) वित्त (लेखा अनुभाग)–1/2
(3) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रशासनिक अनुभाग
(4) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ
(5) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
[देवी प्रसाद साहू]
अनु सचिव।